भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 64</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाना है)

<u>कालाधन</u>

64. डॉ. टी.सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न उद्देश्यों हेतु पार्टिसिपेट्री नोट के रूप में विदेशों से भारत में आने वाले धन की निगरानी/स्कैनिंग/जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान एजेंसी-वार निष्कर्षों का ब्यौरा तथा अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने धन-शोधन और निधियन आदि से संबंधित सूचना के आपसी आदान-प्रदान को अन्य देशों के साथ साझा करने हेतु कोई समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में संबद्ध देशों द्वारा अपनाई गई कार्य-योजना क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा वादानुसार विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाए जाने हेतु क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

<u>वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)</u>

(क)और **(ख)** जी हां। पार्टिसिपेट्री नोट(पी-नोट)/अपतट व्युत्पन्न साधनों(ओ.डी.आई.) के रूप में विदेशों से भारत में निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों(एफ.पी.आई.) जारी करने संबंधी ओ.डी आई. द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्टों के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है जैसाकि एस.ई. बी.आई.(विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के तहत अपेक्षित है।

सेबी ने भी सख्त के.वाई.सी. मानकों का अधिदेश दिया है और समय-समय पर प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग मानकों को सख्त कर रही है ताकि इन साधनों का दुरूपयोग रूके और पी-नोट्स/ओ.डी.आई. विनियामक फ्रेमवर्क सुदृढ़ हों।

सेबी द्वारा किए गए उपायों के कारण पी-नोट/ओ.डी.आई. रूट के माध्यम से निवेश में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है जोकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि एफ.पी.आई. की अभिरक्षा के तहत परिसंपत्ति की प्रतिशतता के रूप में ओ.डी.आई.(ऋण, इक्विटी और डेरिवेटिव) का सैद्धान्तिक मूल्य जून, 2007 में 55.7%से कम होकर सितंबर, 2019 में 2.3% हो गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक रिपोर्टिंग सत्ता को धन-शोधन निवारण नियमावली के संशोधितनियम 3 के अनुसार सभी संव्यवहारों के रिकार्ड को रखना अपेक्षित है जिसमें विदेशी मुद्रा में 5 लाख रूपए से अधिक या इसके बराबर सभी सीमा-पार अन्तरण का रिकार्ड शामिल है, जहां निधियों का उद्गम या गन्तव्य(स्थान) भारत में है। वित्तीय आसूचना यूनिट(एफ.आई.यू.-आईएनडी) को ऐसी सूचना उत्तरोत्तर माह के 15वीं तारीख तक प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। इन सीमा-पार अन्तरण रिपोर्टों को संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टों(एस.टी.आर) से लिंक किया गया है और एस.टी.आर. के भाग के रूप में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेन्सियों (एल.ई.ए.) को सूचित किया जाता है।

(ग)और **(घ)** जी हां। भारत का धन-शोधन से संबंधित सूचना के पारस्परिक प्रवाह को साझा करने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग है। एफ.आई.यू-आई.एन.डी. के द्वारा संबंधित वित्तीय आसूचना यूनिटों के साथ आसूचना साझा करने के लिए उद्देश्य के लिए अनुरोध किए जाते हैं।

पारस्परिक कानूनी सहायता करार(एम.एल.ए.टी) के तहत अनुरोधों को आपराधिक मामलों में विदेशी क्षेत्राधिकारों को भेजा जाता है। भारत की वर्तमान में 39 देशों के साथ एम.एल.ए.टी. है। एम.एल.ए.टी. नहीं होने की स्थिति में पारस्परिकता के आपसी विश्वास के आधार पर अनुरोध किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत दोहरे कराधान परिहार करार(डीटीएए)/कर सूचना आदान-प्रदान संधियों(टीआईईए)/बहुपक्षीय सम्मेलनों के तहत सूचना के आदान-प्रदान को कारगर और बढ़ाने के उद्देश्य के लिए विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से अनुकूल कार्रवाई कर रहा है।

(ङ.) विदेशों में जमा कालेधन को वापिस लाने के लिए सरकार ने कई प्रमुख कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) दिनांक 01 जुलाई, 2015 से काला धन(अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का अधिनियमन

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता तथा उपाध्यक्षता में मई, 2014 में काले धन पर विशेष जांच दल(एस.आई.टी.) का गठन। पर्याप्त काले धन/अघोषित आय, विशेषकर विदेशों में रखे गए काले धन से जुड़े मामलों पर जांच दल द्वारा गहन तथा विस्तृत नजर रखी जा रही है।

(iii) भारत ने जरूरी घरेलू कानून की शुरूआत की है तथा स्वत: आधार पर वित्तीय खाता सूचना के साझा करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय करार किए हैं। भारत ने वर्ष 2015से 2019तक के दौरान विदेशी खाता कर अनुपालना अधिनियम(फटका) पर आधारित अन्त:सरकारी करार के तहत यूएसए से वित्तीय खाता सूचना प्राप्त की है।

(iv) कर अपवंचन हेतु जांचाधीन मामलों में सूचना भी भारत द्वारा विदेशी क्षेत्राधिकारों के साथ की गई कर संधियों के संगत उपबंधों के अन्तर्गत अनुरोध आधार पर प्राप्त की गई है। स्वत: के साथ-साथ अनुरोध आधार पर प्राप्त की गई सूचना का प्रयोग बेहिसाबी आय तथा विदेशी भारतीय निवासियों की परिसंपत्तियों पर कर लगाने के लिए किया जाता है।

(v) भारत ने वर्ष 2017 से सूचना के स्वत: आदान-प्रदान की शुरूआत की है। वर्ष 2017, 2018 तथा 2019 में, भारत ने सी.आर.एस. के अन्तर्गत एईओआई पर आधारित बहुत से दूसरे सहयोगी क्षेत्राधिकारों से भारतीय निवासियों की वित्तीय खाता सूचना प्राप्त की है और आज सामान्य रिपोर्टिंग मानक के अनुसार 90 क्षेत्राधिकारों से भी ज्यादा से वित्तीय खाता सूचना प्राप्त कर रहा है।भारत इस पहल में अग्रणी है और इसके परिणामस्वरूप विदेशी क्षेत्राधिकारों से अब अत्यधिक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं।

(vi) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को संशोधित किया गया है ताकि उस केस में देश के भीतर अथवा विदेश में धारित मूल्य के बराबर संपत्ति की जब्ती तथा कुर्की करने में सक्षम हो जहां संपत्ति/अपराध की प्रक्रिया देश के बाहर की जाती है अथवा रखी जाती है।

(vii) एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018(द फ्यूगिटिव इकोनोमिक आफेंडर्स एक्ट, 2018) को अधिनियमित किया गया है जिसका उद्देश्य ऐसे आर्थिक अपराधियों की अनुसूचित आर्थिक अपराधों से संबंधित अपराध के प्रोसीड्स को और उनकी संपत्तियों को कुर्क और जब्त करना है और साथ ही भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाकी लोगों को भी भारतीय कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने से विरत रखा जा सके।

****